परिपत्र संख्या 09/2013

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
''कर–भवन'', अजमेर

क्रमांकः एफ–7(34)जन/2013/9470 दिनांकः 29.05.13

–:: परिपत्र ::–

विषय : आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आयकर विभाग को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भिजवाने के संबंध में।

अपर आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), जोधपुर एवं तृतीय तल, नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, जयपुर द्वारा पत्रांक ADDL.DIT (I&CI)/JPR/2013-14/83 दिनांक 03.05.13 विभाग को प्रेषित कर अवगत कराया है कि उप पंजीयकों द्वारा आयकर विभाग को भिजवाई जाने वाली सूचनाऐं समय पर नहीं भिजवाई जाती है, और कई मामलों में अपूर्ण सूचनाऐं भिजवाई जाती है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर विभाग को भिजवाई जाने वाली सूचनाओं के संबंध में विधिक प्रावधान निम्न प्रकार है :–

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–133(6) के अन्तर्गत 5 लाख या उससे अधिक किन्तु 30 लाख से कम की अचल सम्पत्ति के विक्रय दस्तावेजों के संबंध में सूचना कोड नं. 401 के तहत निर्धारित प्रपत्र में भिजवाई जाती है। इसी प्रकार दस्तावेज में अंकित प्रतिफल से अधिक मूल्यांकन के दस्तावेजों की सूचना जिसमें विक्रय राशि, मूल्यांकन राशि, विक्रेता का नाम एवं पता एवं मुद्रांक शुल्क की राशि की सूचना कोड सं. 402 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में भिजवाई जाती है। वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 से संबंधित सूचना दि. 31.03.14 तक एवं वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक की सूचना तुरन्त भिजवाये जाने का अनुरोध किया गया है। यह सूचना निर्धारित समय तक नहीं भिजवाने पर आयकर अधिनियम की धारा–272(A)(2)(c) के अन्तर्गत 100 रूपये प्रतिदिन की शास्ति का प्रावधान बताया गया है।

2. आयकर अधिनियम 1961 की धारा–285BA के अन्तर्गत 30 लाख या उससे अधिक की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण दस्तावेजों के संबंध में वार्षिक विवरण फार्म नं. 61 A एवं B में आयकर विभाग द्वारा निर्धारित एजेंसी NSDL के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त तक प्रस्तुत करने का प्रावधान है। उपरोक्त सूचना के पार्ट–ए की हार्ड कॉपी मय सीडी/डीवीडी निदेशक आयकर (I&CI), जयपुर को भी भिजवाना आवश्यक है। यह सूचना निर्धारित समय तक नहीं प्रस्तुत करने पर आयकर अधिनियम की धारा–271FA के अन्तर्गत 100 रूपये प्रतिदिन शास्ति का प्रावधान बताया गया है।

3. आयकर अधिनियम 1961 की धारा–139(A) के अन्तर्गत 5 लाख या उससे अधिक की वैल्यू के दस्तावेजों के साथ संबंधित पक्षकारों के सही PAN Number साथ में लिया जाना आवश्यक है। सही PAN Number के सत्यापन के लिये PAN Card की छाया प्रति साथ में ली जानी चाहिये। सही PAN Number नहीं दिये जाने की स्थिति में आयकर अधिनियम 1961 की धारा–272बी के अन्तर्गत 10 हजार रूपये तक शास्ति का प्रावधान है।

4. आयकर अधिनियम 1961 की धारा–164सी के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में PAN Number लिया जाना आवश्यक नहीं है, किन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में फार्म नं. 60, 61 या पासपोर्ट की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है :–

   i) ऐसा व्यक्ति जो PAN Card धारक नहीं है। उससे फार्म नं. 60 में घोषणा ली जाये।

   ii) ऐसा व्यक्ति जिसे कृषि से आय हो रही है। उससे फार्म नं. 61 में उसके द्वारा किये जाने वाले संव्यवहार के संबंध में घोषणा ली जाये।

   iii) अप्रवासियों (non residence) से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–2(30) के अन्तर्गत पासपोर्ट की प्रति ली जानी चाहिये।

   31 मार्च तक प्राप्त फार्म नं. 60/61 की सूचनाऐं प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक निदेशक आयकर (I&CI), जयपुर को भिजवाई जानी चाहिये।

उपरोक्तानुसार सूचनाऐं निर्धारित अवधि तक नहीं भिजवाने के कारण 63 मामलों में उप पंजीयकों पर धारा–271FA के अन्तर्गत 9,75,500/– एवं निर्धारित अवधि तक आयकर विभाग को विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर 30 मामलों में 1,93,200/– शास्ति आरोपित की गई है।

अतिरिक्त निदेशक, आयकर द्वारा उपरोक्त पत्र दिनांक 03.05.2013 में निम्नलिखित सूचनाऐं निर्धारित समय पर भिजवाने हेतु अनुरोध किया गया है :–

i. 30 लाख या उससे अधिक के पंजीबद्ध किये गये दस्तावेजों के संबंध वर्ष 2012–13 के संबंध में वार्षिक विवरणी दिनांक 31.08.2013 तक आयकर विभाग द्वारा निर्धारित केन्द्र NSDL के माध्यम से प्रस्तुत कर दी जाये।

ii. 31 मार्च तक प्राप्त फार्म नं. 60/61 की सूचना 31 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से भिजवा दी जाये।

iii. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित कोड संख्या 401 एवं 402 की सूचनाऐं वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक की दिनांक 31.03.2014 तक भिजवाई जाये एवं वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11 तक की सूचनाऐं तत्काल आयकर विभाग को भिजवाई जाये।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाऐं निर्धारित समय पर आयकर विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उपरोक्त उल्लेखित विधिक प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य सूचनाऐं भी निर्धारित समय पर भिजवाई जायें।

21/5/13

(रामखिलाड़ी मीणा)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर 23/5/13

क्रमांकः एफ–7(34)जन/2013/9471–9970 दिनांकः 29.05.13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. अपर आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), जोधपुर एवं तृतीय तल, नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, जयपुर
6. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त–भवन, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
11. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान को पालनार्थ।
12. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. उप निदेशक (कम्प्युटर) मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
15. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर 23/5/13